तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/180/2005/उदयपुर** **कन्ना बनाम शिवराजसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी

श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11—12—2024

यह निगरानी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की 84 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 2—12—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम उदयपुर शहर के विवादित खसरा नंबर किता 9 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि के पुर्नग्रहण के आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 17—10—2002 पारित किए जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 2—12—2004 द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसे प्रकरण संख्या 182/2004 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 20—10—2004 द्वारा विवादित आराजी के मुकदमें एवं राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति अन्य आदेश तक यथावत रखा है । इस कारण प्रकरण में कोई अन्य आदेश जारी नहीं किया जाना मानकर अपील अस्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे कि भू रूपातंरण की यदि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उनके द्वारा की जाती है तो प्रार्थीगण को सुने एवं राजस्व वाद में जो भी निर्णय पक्षकार के मध्य हो तो उक्त निर्णय के बाद ही

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/एलआर/180/2005/उदयपुर
कन्ना बनाम शिवराजसिंह</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td></td><td>भू–रूपातंरण का आदेश प्रदान किया जावे तथा अवैध निर्माण जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया उसे हटाया जाने का आदेश पारित किया जावे ।
5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । माननीय मण्डल के समक्ष अपील विचाराधीन रहते किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना उचित नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से अपील खारिज की है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे ।
6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया ।
7– हस्तगत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी । अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसका प्रकरण संख्या 182/2004 होकर आदेश दिनांक 20–10–2004 द्वारा विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति अन्य आदेश तक यथावत रखा है, इस कारण कोई अन्य आदेश जारी नहीं किया जाना उचित नहीं मानकर अपील निर्णय दिनांक 2–12–2004 से खारिज की थी । उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की थी अब चूंकि राजस्व मण्डल में लम्बित अपील संख्या 182/2004 जिसके वर्तमान नये नंबर अपील संख्या 5225/2004 का निर्णय दिनांक 11–12–2024 से किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित की जा चुकी है । अतः अब इस निगरानी का कोई औचित्य नहीं है ।
8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी उक्तानुसार निर्णित की जाती है ।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।
पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी) सदस्य   (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य</td><td></td></tr>
</table>